भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *285
16.12.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि के तहत सूखा-प्रवण जिलों के लिए धनराशि

***285. डॉ. बायरेड्डी शबरी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऐसे कुल कितने सूखा-प्रवण जिले हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) ऐसे विशिष्ट क्षेत्र (जल संसाधन, कृषि तथा स्वास्थ्य आदि) कौन से हैं जिन्हें इन जिलों में अनुकूलन परियोजनाओं हेतु धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के शमन से संबंधित परियोजनाओं के लिए एनएएफसीसी के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है; और

(घ) क्या एनएएफसीसी के तहत आंध्र प्रदेश के सूखा-प्रवण जिलों के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति सहित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि के तहत सूखा-प्रवण जिलों के लिए धनराशि' के संबंध में डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *285 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकूलन संबंधी कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। एनएएफसीसी को परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है और इसके तहत, 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 847.48 करोड़ रूपए है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एनएएफसीसी के लिए 'राष्ट्रीय कार्यान्वयन निकाय (एनआईई)' है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रकाशित *"क्लाइमेट हैजर्ड एंड वलनरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया"* के अनुसार, सूखा प्रवण जिलों को उन जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां सूखा सामान्यकृत संवेदनशीलता सूचकांक बहुत अधिक, अधिक और मध्यम है। एनएएफसीसी के तहत सहायता प्राप्त लगभग 127 जिलों में से मध्यम, अधिक और बहुत अधिक सूखा-प्रवण जिलों की कुल संख्या 107 है।

एनएएफसीसी परियोजनाओं के तहत लक्षित विशिष्ट क्षेत्रों में कृषि, पशुधन, जल, तटीय आर्द्रभूमि प्रबंधन, वन संरक्षण, समुद्र तट संरक्षण और प्रबंधन शामिल हैं। एनएएफसीसी के तहत निधियों को परियोजना-वार आवंटित किया जाता है। 30 एनएएफसीसी परियोजनाओं में से 28 परियोजनाओं में उन जिलों को शामिल किया गया है, जिन्हें मध्यम, अधिक या बहुत अधिक सूखा-प्रवण जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान इन 28 परियोजनाओं के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**स्वीकृत निधियां राशि (लाख रु. में)**	**नाबार्ड को जारी निधियां राशि (लाख रु. में)**	**नाबार्ड के स्तर पर उपयोग की गई निधियां राशि (लाख रु. में)**
2021-22	5977/-	5977/-	6563/-
2022-23	2094/-	2094/-	2039/-
2023-24	-	-	19/-

(घ) एनएएफसीसी के अंतर्गत *"आंध्र प्रदेश के तटीय और शुष्क क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र में जलवायु-क्षम कार्यकलाप"* नामक एक परियोजना को आंध्र प्रदेश के 03 जिलों अर्थात, अनंतपुरामु (अनंतपुर), श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर (नेल्लोर) और विजयनगरम (विजियानगरम) में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये तीनों जिले *"क्लाइमेट हैजर्ड एंड वलनरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया"* के अनुसार मध्यम से अत्यधिक सूखा प्रवण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यकलापों में मृदा और नमी संरक्षण तथा जल संचयन कार्य, मवेशियों की नस्ल में सुधार, चारा आपूर्ति, डेयरी क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में सरकारी अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

*****